

जेल जा सकते हैं आडवाणी, जोशी और उमा

बाबरी विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चम न्यायालय ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में सोमवार को लखनऊ की एक अदालत से जानना चाहा कि वह भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मोहर जोशी और उमा भारती से संबंधित मुकदमे की सुनवाई किस तरह अप्रैल, 2019 की निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करना चाहती है।

अगले साल एक अप्रैल से करें मेट्रो की यात्रा

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौरी हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक मेट्रो का काम एक अप्रैल 2019 तक पूरा हो जायेगा और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मेट्रो ट्रैडने लगेंगे। करीब 23 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में मेट्रो को 40 मिनट का समय लगेगा। इस रूट पर 21 मेट्रो स्टेशन बनाये जा रहे हैं। अभी तक लखनऊ मेट्रो केवल चारबांग रेलवे स्टेशन से ट्रान्सपोर्ट नगर तक की करीब साढ़े आठ किलोमीटर की दूरी ही तय करती है।

पती की हत्या कर सिर लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन

बगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के विकासनगर से एक दिल दहला देने वाला वाकासा सामने आया है। यहां एक पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी बल्कि हैवानियत का परिचय देते हुए पत्नी के सिर के साथ वह मुस्कराते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे देखने वाले लोग सकते में रह गए।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 18 सितम्बर को आयेंगे धरमजयगढ़

रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा में शामिल होने के लिए 18 सितम्बर को दोपहर 1.15 बजे रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ आयेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह धरमजयगढ़ में दोपहर 1.15 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक आमसारा कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं अपराह्न 3.15 बजे धरमजयगढ़ से विधानसभा क्षेत्र बैंकूपुरुष के ग्राम रन्डी के लिए प्रथान करेंगे।

कलेक्टर के अनुमति बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शमी आविदी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कलेक्टर के बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे एवं न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। पांच कई कार्यालयों के विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभागाध्यक्ष से सीधे अवकाश स्वीकृत करका अवकाश पर प्रस्तुत किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अतएव समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विभागाध्यक्ष अथवा उच्च अधिकारी से अवकाश स्वीकृत नहीं करायेंगे।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑफेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्ट/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. नो. नं. 9039961090


ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्नली की ऑफसेट नशीन *डेलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु संपर्क करें...

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. नो. नं. 9039961090

दूसरे के बी.पी.एल. नम्बर पर दे दिया इदिरा आवास

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया आवेदन



न्याय साक्षी/रायगढ़।

शासन की योजनाओं को गरीबों के नाम हेतु चलाने का दावा करने वाले ही जब किसी गरीब का हक मारकर उसे किसी सबल को देने का काम करने लगें तो बेहद तकलीफ का विषय बनता है, रायगढ़ से लगे सरिया में हुए इस प्रकरण में भी यही

हुआ है, जिसके बारे में शासन से शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सामाजिक न्याय संघ में लिखित में सिकायत की गई है।

राजकुमार अग्रवाल

अपने आवेदन में कहा है कि, मैं राजकुमार अग्रवाल आ. बनारसी दास, उम्र 44 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम बोदा, पो. बोदा, थाना सरिया, तहसील बरमकेला, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., मो.न. 96301xxxxxx का होकर के कहा कि, मैं उक्त ग्राम बोदा में रहता हूं और ट्रान्सपोर्ट खबर 'दूसरे' के बी.पी.एल. नम्बर पर दे दिया इदिरा आवास' से सम्बंधित खबर में द्वारा पढ़ी गई, जिससे प्रेरित होकर मेरे द्वारा उक्त सम्बंध में जॉच-पड़ताल की गई। कहा कि, मेरे द्वारा पाया गया कि कार्तिकराम जो कि मेरे ग्राम बोदा के पास के ग्राम नौदिया का रहने वाला है, के द्वारा अपनी पत्नी का जन्मोत्तमी के नाम से 2016 में फर्जी तरीके से इदिरा आवास की नाम से रहता है।

रहने वाले हेतु है, का लाभ लिया जाकर मकान बनाया जा चुका है जो कि पूर्णतः फर्जी है।

अपने आवेदन में कहा कि, उक्त सम्बंध में ग्राम नौदिया के 'दिवाकर पटेल' ने एक लिखित शिकायत कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जिला पंचायत सी.ई.ओ. रायगढ़, के साथ विधायक को भी एक-एक प्रति दी गई थीं, जिसपर जारी करायी गयी थीं। लेकिन इसके बाद अपनी पत्नी का जन्मोत्तमी के नाम से रहता है। जिसपर जारी करायी गयी थीं।

सम्बंध में लाभार्थियों की सूची के अनुसार क्रमांक 8 में जन्मोत्तमी पति कार्तिकराम का नाम लेखा है। और तलब है कि, कि साथ में ग्रामीण रेखा सर्वे क्रमांक 1206 एवं अर्जित गुणांक 7 लेखा है, जो कि मूलतः 'इंद्रजीत पिता मनी' के नाम से है। जिससे प्रकरण प्रमाणित है कि फर्जी तरीके से शासकीय योजना को लाभ लिया गया है, जो कि कार्यवाही किए जाने वायदा है। जिसपर जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही का नहीं किया जाना शासकीय मर्मचारियों के सलिस होने को दर्शाता है, सभी को

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एक समय में विदेश यात्रा पर सवाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति गोविंद और उपराष्ट्रपति वैकेया नायदू 7 से 9 सितम्बर तक विदेश दौरे पर थे, उनकी यात्रा को लेकर अब विदेश मंत्रालय में राजनयिक कैलेंडर की अनदेखी का मामला उठा है। दूसरे उपराष्ट्रपति दोनों महामहिमों में से कोई एक ही विदेश दौरे पर जा सकता है और एक पीछे से कामकाज को देखता है। लेकिन इस बार दोनों महामहिम एकसाथ देश से बाहर थे। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अनदेखी कैसे कर दी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अनदेखी कैसे कर दी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। विदेश कार्यवाही पूर्व ही लेन-देन से समझौता किया जाकर, प्रकरण समाप्त कर दिया गया जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण कार्यवाही योग्य है।

किसी आकस्मिक परिस्थिति की संभावना के मद्देनजर ऐसा प्रेटोकॉल तैयार किया गया है कि दोनों महामहिम एकसाथ विदेश दौरे पर न हो और इसका ध्यान विदेश मंत्रालय ही रखता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति कोविंद अपनी तीन देशों की साथ दिवसीय यात्रा पूरी कर रविवार रात को स्वल्पेश लौट आए तो वही उपराष्ट्रपति नायदू शिकायों की यात्रा पर हैं, जहां वे शास्त्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित विश्व हिंदू क्रांति के आयोजन में विदेश से रहते हैं। वही इस प्रतिवाद लगाया गया है कि राष्ट्रपति मध्य एशिया के दोनों देशों साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक के राजकीय दौरे पर थे। लेकिन उपराष्ट्रपति की शिकायों की यात्रा राजकीय नहीं थी और न ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की ओर से उनको कोई अतापता नहीं है। जहां तक ऐसी बाकी कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इन कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार की सूची से हटा दिया गया था, उनके निदेशकों को खोजा जा सके।

2.25 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस कागजी फर्मा पर गिरेगी गाज

नई दिल्ली (आरएनएस)। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने मुख्योंता कंपनियों की अगली खेप का पंजीकरण रद्द कर दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2.25 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इनमें से 70,000 कंपनियों को खेप का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और मंत्रालय ने उनके लेनदेन की जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा मंत्रालय गायब हो चुकी कंपनियों की भी तलाश कर रहा है।

लापता कंपनियों के निदेशकों की खोज में मत्रालय के अनुसार वह लापता कंपनियों के खोजने क